ऑन लाइन शुल्क की सुविधा – एक नजर में

अगर आप 'गौरव' का सदस्यता शुल्क ऑनलाइन भेजना चाहते हैं तो हमारे IPPB खाते, डाकघर बचत बैंक खाते या फोन-पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे इन खातों का विवरण इस प्रकार है- **फोनपे 9636185636**

IPPB खाता सं. 046810005656
डाकघर बचत बैंक
खाता सं. - 3435455094

–प्रसार व्यवस्थापक

ग्रामीण सेवक गौरव

❖ वर्ष : 22 ❖ अंक-11 ❖ नवम्बर, 2024 ❖ वार्षिक शुल्क 200/- ❖ एक प्रति 20 रू. ❖

प्रकाशन तिथि - 15.11.2024
RNI No.-RAJHIN/2004/11874
Postal Reg. No.-Nagaur/035/2024-26
प्रेषण तिथि - 15/16.11.2024

पत्र व्यवहार व शुल्क भेजने का पता :
श्रीमती संतोष कंवर,
संपादक
ग्रामीण सेवक गौरव
ग्राम - मालासी, पो. लाडनूं - 341306
जिला - डीडवाना (राज.)
E-mail : gsgmalasi@rediffmail.com
Mob: 8619900916
समय : सुबह 10 से सायं 5 बजे तक
(रविवार को छोड़कर)

ग्रामीण डाक सेवकों की पदोन्नति के क्रम में दिशा निर्देश जारी

नई दिल्ली (नि.सं.) डाक महानिदेशालय ने गत 14.10.2024 को अनुशासनात्मक कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही, पुट ऑफ ड्यूटी और सजा अवधि जारी रहने के दौरान ग्रामीण डाक सेवकों को विभागीय पदों पर नियुक्त करने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं। उक्त आदेश में पदोन्नति परीक्षा के माध्यम से और वरिष्ठता के आधार पर दोनों ही स्थितियों में ऐसे ग्रामीण डाक सेवकों की विभागीय पदों पर नियुक्ति को लेकर समेकित दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो, किसी आपराधिक जाँच की प्रक्रिया जारी हो अथवा जो पुट ऑफ ड्यूटी पर चल रहे हों।

उक्त आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट 'A' में स्पष्ट किया गया है कि जो ग्रामीण डाक सेवक किसी विभागीय पदोन्नति परीक्षा के लिए आवेदन के समय पुट ऑफ ड्यूटी पर होंगे या जिनके विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया जाकर जाँच प्रक्रिया चल रही होगी या जिनके विरूद्ध किसी आपराधिक कृत्य की जाँच बकाया होगी या जिनकी सजा की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई हो उन्हें परीक्षा में प्रवेश प्राविधिक आधार पर (Provisional Basis) ही दिया जायेगा।

आदेश में आगे कहा गया है कि अगर किसी पदोन्नति परीक्षा के परिणाम की घोषणा के समय कोई ग्रामीण डाक सेवक पुट ऑफ ड्यूटी होगा या उसके विरूद्ध जारी आरोप पत्र की जाँच बकाया होगी या उसके खिलाफ किसी आपराधिक कृत्य की न्यायिक प्रक्रिया चल रही होगी तो उसका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। अलावा इसके सेवा से पृथक किये जाने (Discharged/removal/ dismissal) के अलावा अन्य किसी प्रकार की सजा के प्रभावी रहने या किसी प्रकार की वसूली (Recovery) के बकाया होने की स्थिति में सजा की अवधि समाप्त हो जाने और बकाया वसूली पूरी हो जाने की स्थिति में ही सम्बन्धित ग्रामीण डाक सेवक को किसी विभागीय पद पर नियुक्ति दी जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण डाक सेवक को दी गई निन्दा या प्रताड़ना की सजा (Censure) का इस प्रकार की नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अपनी बात

आदरणीय बन्धुओं,

सादर वन्दे!

- **'गौरव' की गौरवशाली प्रकाशन परम्परा में यह इस वर्ष का 11वां और पिछले 22 साल से चले आ रहे सिलसिले का 250वां अंक है।**
- **अगला अंक (दिसम्बर 2024) हमारी प्रकाशन यात्रा का 251वां अंक होगा और यही अंक 'गौरव' का आखिरी अंक भी होगा।**
- **हालांकि हमने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया है कि हम आपको बेहतरीन सेवाएं दे सकें लेकिन देश भर में फैले चोर और हरामखोर लोगों की वजह से हमें इसमें वांछित कामयाबी नहीं मिल सकी। हालांकि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है फिर भी हम तहेदिल से क्षमापार्थी हैं।**
- **सभी से करबद्ध निवेदन है कि कृपया अब 'गौरव' के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं भेजें।**
- **पुनःश्च क्षमा याचना के साथ -**

–सम्पादक

ग्रामीण डाक सेवकों के ट्रान्सफर के लिए 2 वर्ष का सेवाकाल जरूरी

नई दिल्ली (नि.सं.) डाक महा निदेशालय ने गत 10.10.2024 को एक आदेश जारी कर ग्रामीण डाक सेवकों के लिए निर्धारित सीमित स्थानान्तरण सुविधा (LTF) की पात्रता के लिए न्यूनतम सेवाकाल की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि महा निदेशालय ने न्यूनतम सेवाकाल बढ़ाये जाने का निर्णय कुछ परिमंडलों और कुछ ग्रामीण डाक सेवक संघों के फीडबैक/सुझावों को मध्य नजर रखते हुए लिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रावधान के तहत स्थानान्तरण के लिए ऑन लाइन आवेदन करने वाले ग्रामीण डाक सेवक का सेवाकाल ऑन लाइन ट्रान्सफर के लिए तयशुदा अंतिम तिथि के दिन कम से कम 2 वर्ष होना चाहिए। गौरतलब है कि पूर्व में यह सेवाकाल मात्र एक वर्ष ही था।

उक्त आदेश के पैरा सं. 1 के उप शीर्ष (ii) में स्पष्ट किया गया है कि 01.07.2024 से पूर्व नियुक्त ग्रामीण डाक सेवकों के लिए 2 वर्ष के सेवाकाल की शर्त 31.12.2025 तक शिथिलनीय रहेगी अर्थात् 31.12.2025 को 1 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके ग्रामीण डाक सेवक भी ट्रान्सफर के लिए पात्र माने जायेंगे लेकिन 31.12.2025 के बाद से न्यूनतम 2 वर्ष के सेवाकाल की शर्त सभी के लिए बाध्यकारी होगी।

ग्रामीण डाक सेवक पेन्शन मामले की अगली पेशी 13 जनवरी को

नई दिल्ली (नि.सं.) ग्रामीण डाक सेवकों को पेन्शन के भुगतान को लेकर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहे वाद सं. 832/2018 भारत संघ और अन्य बनाम विनोद कुमार सक्सैना और अन्य में अगली पेशी की तारीख 13.01.2025 तय हुई है। उल्लेखनीय है कि इस मामले की पिछली पेशियाँ क्रमशः 16 और 24 अक्टूबर को रखी गयी थीं जिनमें 24.10.2024 की पेशी के दौरान न्यायमूर्ति सी. हरीशंकर और न्यायमूर्ति डॉ. सुधीर कुमार जैन की खंड पीठ द्वारा इस मामले की अगली तारीख पेशी 13.01.25 को रखे जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

उक्त वाद में ग्रामीण डाक सेवकों की तरफ से कुल एक दर्जन मामले एकीकृत किये गये हैं जिनमें कर्मचारी पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकेश गिरी, श्री अंकुर छिब्बर, श्री निकुंज अरोड़ा, सुश्री मेघा शर्मा, श्री सोमेन्दु मुखर्जी, श्री चेतन शर्मा, श्री विजय जोशी, श्री सौरभ त्रिपाठी, श्री हेमन्त गोयल, श्री हिमांशु उपाध्याय, सुश्री रूबी शर्मा एवं श्री आर्यन झां आदि पैरवी कर रहे हैं।

प्रतिबिम्ब

ग्रामीण डाक सेवक भर्ती हेतु प्रमाण पत्रों की मानक तिथि तय

नई दिल्ली (नि.सं.) डाक महा निदेशालय ने गत 09.10.2024 को सभी परिमंडल प्रमुखों के नाम एक परिपत्र भेजकर ग्रामीण डाक सेवकों की ऑन लाइन भर्ती में पेश किये जाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र और आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की मानक तिथि (Crucial Date) को लेकर कुछ स्पष्टीकरण जारी किये हैं जिनके तहत उक्त दोनों ही प्रमाण पत्र ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।

उक्त आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई अभ्यर्थी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की अंतिम तिथि के दिन 'क्रीमी लेयर' श्रेणी में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में भी सम्बन्धित वित्तीय वर्ष का प्रमाण पत्र भर्ती की अंतिम तिथि के दिन वैध होना चाहिए फिर भले ही ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की सूचना कभी भी क्यों ना जारी हुई हो।

इसके अलावा परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त दोनों श्रेणियों (OBC व EWS) के प्रमाण पत्र सत्यापन के समय आवेदक के पास उपलब्ध होने चाहिये फिर चाहे वो भर्ती की अंतिम तिथि के बाद ही क्यों ना जारी हुए हों।

नोशनल इन्क्रीमेंट के आदेश जारी

नई दिल्ली (नि.सं.) एक लम्बी जद्दोजहद के बाद भारतीय डाक विभाग ने आखिरकार अपने उन पेन्शनर्स को काल्पनिक वेतन वृद्धि (Notional Increment) का लाभ दिये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं जो 30 जून या 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन चूँकि वे 1 जुलाई और 1 जनवरी को सेवा में नहीं रहे और इसी आधार पर पूरे एक साल की सेवा के बावजूद उन्हें अंतिम वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गयी थी।

उल्लेखनीय है कि 30 जून और 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए ऐसे अनेक डाक कर्मियों ने देश की अलग-अलग अदालतों में अनेक मामले दर्ज कर रखे थे जिनमें से प्रायः सभी का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में रहा था लिहाजा सरकार ने इनकी सामूहिक अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर रखी थी और इसी अपील पर अंतिम फैसला सुनाते हुए 11.04.2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय कर दिया था कि ऐसे सभी कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।

हालांकि डाक महा निदेशालय द्वारा 18.10.2024 को जारी तत्सम्बन्धी आदेश में इसका लाभ 11.04.2023 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले डाक कर्मियों को ही दिये जाने का उल्लेख किया है जिसे लेकर 11.04.23 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों में निराशा व्याप्त है और वे इसे लेकर एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाने की तैयार कर रहे हैं।

किराये के भवनों में चल रहे एक हजार डाकघरों का होगा काया पलट

नई दिल्ली (नि.सं.) जैसी कि हमने सितम्बर के अंक में खबर दी थी, डाक विभाग इसी वित्तीय वर्ष में किराये के भवनों में चल रहे एक हजार डाकघर भवनों का काया पलट करने जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए डाक महा निदेशालय ने गत 18.10.2024 को एक स्वीकृति आदेश जारी कर देश के 23 परिमंडलों में अवस्थित कुल एक हजार डाकघरों के लिए प्रत्येक को 2 लाख के हिसाब से बीस करोड़ रूपये की मंजूरी दी है।

उक्त स्वीकृति आदेश के साथ संलग्न सूची के अनुसार प्रोजेक्ट एरो के तहत चलाये जाने वाले इस निर्माण/मरम्मत कार्य के लिए सर्वाधिक 95 डाकघर तमिलनाडु से, इसके बाद 90 महाराष्ट्र से और तीसरे स्थान पर 77 डाकघर कर्नाटक परिमंडल से चयनित किये गये हैं।

गौरतलब है कि इस परियोजना के तहत देश के सबसे बड़े डाक परिमंडल उत्तर प्रदेश से मात्र 75 डाकघरों को ही चुना गया है जबकि तुलनात्मक रूप से दस गुना छोटे केरल के हिस्से में 52 डाकघर आये हैं। बहरहाल निर्माण और मरम्मत का यह कार्य पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जा रहा है जिसे हर हाल में 28.02.2025 तक पूर्ण करना है।

भले चिकने घड़ों पर कुछ असर हो या न हो लेकिन, बताना फर्ज है मेरा इसे पूरा करूँगी मैं।

सम्पादकीय

आखिर उजागर हुई मैरिट स्कॉलर्स की असलियत

अगर आपको याद हो तो अभी कुछ अर्सा पहले हमने अपने इसी आलेख में एक बड़ा प्रश्न उठाया था कि आखिर शाखा डाकघरों में ऐसा कौनसा काम होता है जिसे केवल 90 से 99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले मैरिटोरियस अभ्यर्थी ही कर सकते हैं? जबकि हकीकत तो ये है कि आने वाली डाक का वितरण और भेजी जाने वाली डाक की बुकिंग और छँटाई जैसा रूटीन का कार्य तो द्वितीय श्रेणी से दसवीं पास करने वाले अभ्यर्थी भी बखूबी कर सकते हैं तो फिर इसके लिए शाखा डाकपाल और सहायक शाखा डाकपाल कैडर को ऑल इंडिया कैडर बनाने की मुहिम का मंतव्य क्या है?

हालाँकि ग्रामीण डाक सेवकों की ऑनलाइन भर्ती के नये नियमों में कोई अभ्यर्थी जिस क्षेत्र के लिए आवेदन करता है उसे वहां की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है लेकिन केरल और तमिलनाडु के अभ्ययर्थियों को हिन्दी/राजस्थानी और पंजाब हरियाणा के उम्मीदवारों को कन्नड़ और मलयालम का कितना ज्ञान होता है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अलावा इसके सुदूर पूर्वांचल के उम्मीदवार गुजरात और महाराष्ट्र में इस अल्प वेतन में गुजारा कैसे कर पायेंगे यह भी एक बड़ा प्रश्न है और सबसे बड़ी समस्या तो है अपने पदस्थापन वाले गांव-कस्बे के लोगों से जान पहचान जिसमें दो से तीन साल का समय लग जाना तो स्वाभाविक है और उधर ट्रान्सफर सुविधा का आलम ये है कि दो साल बाद ऑन लाइन ट्रान्सफर के लिए आवेदन कर सकते हैं और चार छः महीने के अन्दर उनका ट्रान्सफर हो भी जाता है नतीजतन नये क्षेत्र से परिचित होने से पहले तो ट्रान्सफर हो जाता है और इस इलाके के डाक उपभोक्ता एक बार फिर ठगे से रह जाते हैं।

किसी जमाने में ग्रामीण डाक सेवक पद पर नियुक्ति की पहली शर्त ही ये होती थी कि उम्मीदवार उसी शाखा डाकघर वाले गाँव या ज्यादा से ज्यादा उसके वितरण क्षेत्र का निवासी हो ताकि अव्वल तो वो पहले से ही पूरे इलाके के लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हो और उसे अपने पूरे सेवाकाल के दौरान ट्रान्सफर की जरूरत ही महसूस ना हो। इसके अलावा स्थानीय आवासी होने से वो अपनी इस नौकरी के साथ साथ खेती बाड़ी, पशु पालन और हाट दुकान जैसा पार्ट टाइम व्यवसाय भी बखूबी कर सके जिससे इस कम वेतन में भी आसानी से उसका गुजर बसर सम्भव हो सके।

अब फिर से आलेख के मूल विषय की तरफ लौटते हैं। आपने पिछले एक अर्से से डाक विभाग से सम्बन्धित जिन खबरों को सर्वाधिक वायरल होते हुए देखा होगा उनमें अधिकांश समाचार इन तथाकथित मैरिट स्कॉलर्स के कारनामों से मुतल्लिक है। फिर चाहे वो हिन्दी में प्रार्थना पत्र ना लिख पाने से जुड़ी हो, आने वाली डाक पर लिखे पतों को नहीं पढ़ पाने से सम्बन्धित हो या आने वाली डाक सामग्री को जलाने जैसे जघन्य अपराध से बाबस्ता हो। इन सभी समाचारों का सार तत्त्व यही है कि इसके मूल में मैरिट वाले मुलाजिमों की भर्ती का व्यामोह ही है।

पहले इस तरह की स्थिति उन्हीं उम्मीदवारों को लेकर पेश आती थी जिनके प्रमाण पत्र और अंकतालिकाएं फर्जी होती थीं और इसी आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त भी कर दिया जाता था लेकिन अब तो इसे शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी कहें या डाक विभाग का दुर्भाग्य कि बाकायदा स्टेट एज्यूकेशन बोर्ड द्वारा जारी असली प्रमाण पत्र और अंकतालिकाओं के धारक भी इस फजीहत में शामिल होते जा रहे हैं। मजे की बात तो ये भी है कि हिन्दी में 95 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी 'अधीक्षक' को 'अदीशय', महोदय को 'मेव्य' डाकघर को 'ढाकगर' और पौड़ी गढ़वाल को 'पैटी गडवाड़' लिख रहा है; इसलिए अब इस पूरी चयन प्रक्रिया पर ही पुनर्विचार जरूरी है। **-सम्पादक**

हमारे सुझाव का असर.....

सन्दर्भ – ग्रामीण डाक सेवकों का आकस्मिक अवकाश

जनवरी 2019 के प्रथम सप्ताह में भारतीय डाक विभाग ने अपने ग्रामीण डाक सेवकों को प्रति वर्ष पांच दिन के सवेतनिक आकस्मिक अवकाश (Emergency Leave) की स्वीकृति का जो आदेश जारी किया था उसमें कहा गया था कि हर हाल में इस अवकाश की अग्रिम स्वीकृति आवश्यक होगी - अब इस व्यवस्था में संशोधन करते हुए सहायक शाखा डाकपालों और ग्रामीण डाक सेवकों के मामले में इसकी स्वीकृति का अधिकार सीनियर पोस्टर मास्टर/ पोस्ट मास्टर/सब पोस्ट मास्टर तथा उप मंडल निरीक्षक को दे दिये गये हैं जब कि शाखा डाकपालों के मामले में इसकी स्वीकृति का अधिकार पूर्ववत मण्डलीय अधीक्षकों के पास रखा गया है।

01 फरवरी 2019 को जारी आदेश क्रमांक 17-31/2016-GDS के अनुसार परिवर्तित व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू कर दी गयी है। उल्लेखनीय है कि हमने 'गौरव' के जनवरी 2019 के अंक में सम्पादकीय आलेख के माध्यम से सरकार को यही सुझाव दिया था जिसे अक्षरसः मान लिया गया है।

+ %= समस्या - समाधान ±÷ — X

प्रश्न-1. कृपया बतायें कि एक ग्रामीण डाक सेवक को साल भर में कितने आकस्मिक अवकाश मिलते हैं और इनकी मंजूरी कौन देता है?

- शीशराम प्रजापत BPM पो. सेहला (रतनगढ़) राज.

उत्तर ग्रामीण डाक सेवकों को वर्ष भर में अधिकतम 5 आकस्मिक अवकाश (Emergency Leave) मिलते हैं। डाक महा निदेशालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 17-31/2016-GDS दिनांक 02.01.2019 के अनुसार यह अवकाश व्यवस्था 01.01.2019 से लागू है।

उक्त आदेश के पैरा सं. 2 के उप शीर्ष (iii) के अनुसार एक बार में अधिकतम 2 आकस्मिक अवकाश लिये जा सकते हैं जिन्हें पूर्व में स्वीकृत कराना होगा तथा इन्हें मंजूर करने के लिए सक्षम अधिकारी शाखा डाकपालों के लिए अधीक्षक डाकघर और अन्य सभी ग्रामीण डाक सेवकों के मामले में सम्बन्धित SDI (P)/ASPOs/PM/SPM होंगे।

प्रश्न-2. मैं ABPM के पद पर कार्यरत हूँ। क्या मेरा स्थानान्तरण BPM के पद पर हो सकता है? अगर हो सकता हो तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा?

- एक ग्रामीण डाक सेवक पो. जामताड़ा (झारखंड)

उत्तर डाक महा निदेशालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 17-31/2016-GDS दि. 22.01.2020 के पैरा सं. 1 के उप शीर्ष (f) में वर्णित प्रावधान के अनुसार केवल Level-2 (5 घंटे कार्यभार वाले) में कार्यरत ही BPM पद पर स्थानान्तरण के लिए पात्र हैं और वे भी केवल BPM Level - 1 के पद पर ही ट्रान्सफर किये जा सकते हैं क्योंकि इन दोनों पदों का TRCA स्केल समान अर्थात् 12000-29380 वाला है।

इसके अलावा इस प्रावधान के तहत BPM के पद पर ट्रान्सफर होने वाले ABPM को शाखा डाकघर चलाने के लिए कार्यालय भवन की व्यवस्था करनी होगी तथा उसे BPM पद पर ज्वॉइनिंग से पहले इस पद के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा इस प्रावधान के अन्तर्गत स्थानान्तरण की पहली शर्त ये है कि सम्बन्धित ABPM की शैक्षणिक योग्यता BPM पद के लिए वांछित योगयता के समकक्ष होनी चाहिए।

प्रश्न-3. क्या ग्रामीण डाक सेवकों को मिलने वाला 5 दिन का आकस्मिक अवकाश सवेतनिक अवकाश है और क्या इस अवकाश के दौरान अवकाश पर जाने वाले ग्रामीण डाक सेवक की जगह एवजी लगाये जाने का प्रावधान होता है?

- एक शाखा डाकपाल, जिला - धमतरी (छ.ग.)

उत्तर जी हाँ, ग्रामीण डाक सेवकों को प्रति वर्ष मिले वाला 5 दिन का आकस्मिक अवकाश सवेतनिक अवकाश है। डाक महा निदेशालय द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक 17-31/2016-GDS दिनांक 02.01.2019 के पैरा सं. 2 के उप शीर्ष में स्पष्ट लिखा है-

The GDS will be paid TRCA as applicable during the period of emergency leave.

जहाँ तक ऐसी अवकाश व्यवस्था में एवजी लगाये जाने का प्रश्न है, उक्त आदेश के इसी पैरा के उप शीर्ष (viii) में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार की अवकाश व्यवस्था में पूर्णकालिक एवजी नहीं लगाया जाएगा बल्कि अवकाश पर रहने वाले ग्रामीण डाक सेवक का कार्य संयुक्त कार्य (Combination of duty) के तौर पर दूसरे ग्रामीण डाक सेवक से कराया जाएगा, अलबत्ता एक लहस्त (Single handed) शाखा डाकघरों में एवजी लगाया जा सकता है- देखें-

"No full time substitute will be engaged against the resultant vacancy and duty/work of branch post office should be managed with combination of duties except in case of single handed BOs.

प्रश्न-4. अगर कोई दिव्यांग ग्रामीण डाक सेवक अपने ही डाक मंडल में कहीं अन्यत्र स्थानान्तरण के लिए आवेदन करें तो क्या उसे किसी प्रकार की प्राथमिकता मिलेगी? और क्या वरिष्ठता के आधार पर ग्रामीण डाक सेवक से MTS पद पर पदोन्नति में भी दिव्यांग ग्रामीण डाक सेवकों का किसी प्रकार का कोई आरक्षित कोटा होता है?

- राजवीर सिंह चांपावत BPM पो. कुड़की (बाबरा) पाली

उत्तर हालांकि अब तक तो ट्रान्सफर में दिव्यांग ग्रामीण डाक सेवकों को किसी प्रकार कोई प्रावधान नहीं था लेकिन अभी हाल ही में डाक महानिदेशालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 17-31/2016-GDS (Pt. 1) दिनांक 10.10.2024 के पैरा 2 में वर्णित वरीयता क्रम (Order of Priority) में कुल 7 प्रकार की प्राथमिकताओं में पहली प्राथमिकता PwD (having benework Disabilities) श्रेणी के ग्रामीण डाक सेवकों को दी गयी है।

बहरहाल अभी तक वरिष्ठता के आधार पर ग्रामीण डाक सेवक से MTS संवर्ग में पदोन्नति में दिव्यांग ग्रामीण डाक सेवकों के लिए किसी प्रकार का आरक्षित कोटा निर्धारित नहीं है।

प्रश्न-5. अक्टूबर के अखबार में TDS के बारे में आपने लिखा है कि अब TDS 5% की जगह 2% ही कटेगा लेकिन मेरे PLI इन्सेंटिव में TDS 5% ही कट रहा है। मैंने अब तक TDS का कोई रिफंड भी नहीं लिया है। कृपया बतायें कि क्या अब ये 2% की दर से ही कटेगा और क्या पिछला Refund भी मिल सकेगा?

- राजपाल BPM पो. उझाना (जीन्द) हरियाणा

उत्तर सबसे पहली बात तो ये कि अक्टूबर के अंक में जो समाचार छपा था उसमें केवल PLI/RPLI के भुगतान पर कटने वाले TDS की दर में कमी का उल्लेख था। इसके अलावा अल्प बचत के अधिकृत अभिकर्त्ताओं द्वारा उपार्जित कमीशन पर काटे जाने वाले TDS की दरें भी अब 5 के बजाय 2 प्रतिशत हो गयी हैं लेकिन GDS को मिलने वाले इन्सेंटिव पर काटे जाने वाले TDS की दर को लेकर अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।

आइये जानें, क्या है Diesnon

'Diesnon' (डाइज नोन) एक कर्मचारियों के लिए बेहद जाना पहचाना शब्द है। आइये जानें कि आखिर डाइजनोन है क्या और यह किन स्थितियों में लागू होता है। चूंकि यह एक कानूनी प्रक्रिया है इसलिए इसे समझने के लिए अंग्रेजी की मूल शताब्दी ही हम यहाँ दे रहे हैं-

What is Dies non?

Dies non: In service terms, "dies non" means a day, which cannot be treated as duty for any purpose. It does not constitute break in service. But the period treated as 'dies non' does not qualify as service for pensionary benefits or increment.

As per the Postal Manual Volume III, Central Civil Services (Classification, Control and appeal) rules, 1965, the Absence of officials from duty without proper permission or when on duty in office, they have left the office without proper permission or while in the office, they refused to perform the duties assigned to them is subversive of discipline. In cases of such absence from work, the leave sanctioning authority may order that the days on which work is not performed be treated as dies non, i.e. they will neither count as service nor be construed as break in service. This will be without prejudice to any other action that the competent authorities might take against the persons resorting to such practices.

दिल्ली सर्किल द्वारा विशेष भर्ती की चयन प्रक्रिया की टाइम लाइन जारी

नई दिल्ली (नि.सं.) दिल्ली परिमंडल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने 01.11.2024 को जारी एक आदेश के जरिये पोस्टमैन व एम टी एस संवर्ग के रिक्त पदों हेतु आयोजित विशेष भर्ती अभियान के तहत चयनित अन्य परिमंडलों के इच्छुक एवं पासशुदा अभ्यर्थियों को विधिवत नियुक्ति दिये जाने के क्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और उसकी टाइम लाइन घोषित कर दी है जो इस प्रकार है-

क्र.	प्रक्रिया	कार्यवाही किसके द्वारा की जानी है	गतिविधि की पूर्णता हेतु अंतिम तिथि / समय
01.	चयनित अभ्यर्थी के पैतृक मंडल द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी की व्यैक्तिक पत्रावली (P.F) बीमाकृत पत्र के जरिये अभ्यर्थी को आवंटित मंडल को निम्न दस्तावेजों के साथ भेजी जानी है– (i) ग्रामीण डाक सेवक पद का नियुक्ति पत्र। (ii) दो सत्यापित प्रतियों में दसवीं / मैट्रीकुलेशन का प्रमाण पत्र। (iii) जन्म तिथि का प्रमाण, अगर प्रमाण उपलब्ध ना हो तो दसवीं के प्रमाण पत्र की दो सत्यापित प्रतियाँ। (iv) अगर अभ्यर्थी SC/ST/OBC से सम्बन्धित है तो 2 सत्यापित प्रतियों में जाति प्रमाण पत्र। (v) अगर लागू हो तो 2 सत्यापित प्रतियों में EWS/ PwDs प्रमाण पत्र। (vi) निवास प्रमाण के रूप में आधार कार्ड आदि की 2 सत्यापित प्रतियाँ (vii) शैक्षिक योग्यता / जाति / PwDs/EWS (अगर लागू हो) के प्रमाण पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट की 2 सत्यापित प्रतियाँ (viii) सत्यापन प्रपत्र (मूल) (ix) चरित्र प्रमाण पत्र एवम् पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र (मूल) (x) चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट (मूल)	पैतृक मंडल	16.11.2024 तक
02.	व्यैक्तिक पत्रावली (P.F.) की प्राप्ति पर आवंटित मंडल द्वारा इसमें बिन्दु सं. 1 में वर्णित दस्तावेजों का मिलान किया जाना है। इस फाइल में सम्बन्धित अभ्यर्थी के परिणाम की प्रति रखी जायेगी। आवंटित मंडल को देखना है कि अभ्यर्थी की चिकित्सकीय जाँच विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई है या नहीं?	दिल्ली परिमंडल के आवंटित मंडल द्वारा	23.11.2024
03.	अगर चयनित अभ्यर्थी की चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट पहले से ही अभ्यर्थी के पैतृक मंडल ने करवा रखी है और फाइल में मौजूद है तो आवंटित मंडल द्वारा अभ्यर्थी का नियुक्ति सह प्रशिक्षण आदेश अभ्यर्थी को उसके पैतृक मंडल के माध्यम से भेजा जाना है। अगर अभ्यर्थी के पैतृक मंडल ने अभ्यर्थी की चिकित्सकीय जांच नहीं करवाई है तो दिल्ली परिमंडल का आवंटित मंडल सम्बन्धित अभ्यर्थी को चिकित्सकीय जांच के लिए आवश्यक प्रपत्र आदि डाक द्वारा भेजेगा और इसकी सूचना उसके पैतृक मंडल को भी भेजेगा। नोट – सम्बन्धिता अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रस्ताव की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर उसे स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। अस्वीकार की स्थिति में अभ्यर्थी के पैतृक मंडल द्वारा इस आशय की सूचना और अभ्यर्थी का लिखित अस्वीकार उसे आवंटित मंडल को भेजना होगा। आवंटित मंडल द्वारा 'अस्वीकार' को स्वीकार करने के बाद अभ्यर्थी की पी.एफ. उसके पैतृक मंडल को लौटानी है।	आवंटित मण्डल / पैतृक मंडल	30.11.2024
04.	अभ्यर्थी चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अपने क्षेत्र के CMO/सिविल सर्जन के पास जाएगा और जाँच के बाद सम्बन्धित CMO से जाँच की रिपोर्ट मुहरबंद लिफाफे में प्राप्त करेगा और उसे अपने पैतृक मंडल कार्यालय के सुपुर्द करेगा।	अभ्यर्थी / पैतृक मंडल	–
05.	अभ्यर्थी का पैतृक मंडल चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट को स्कैन करके उसे ई–मेल के माध्यम से आवंटित मंडल को भेजेगा और उसकी मूल प्रति डाक के माध्यम से आवंटित मंडल को भेजेगा।	पैतृक मण्डल	रिपोर्ट प्राप्ति के 3 दिन के भीतर
06.	चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवंटित मंडल अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रस्ताव सह प्रशिक्षण आदेश जारी करेगा।	आवंटित मंडल	रिपोर्ट प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर
07.	अभ्यर्थी प्रशिक्षण आदेश में वर्णित कार्यालय में प्रशिक्षण हेतु प्रस्तुत होगा।	अभ्यर्थी	प्रशिक्षण आदेश के अनुसार
08.	सफलता पूर्वक प्रशिक्षण के बाद आवंटित मंडल / नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को नियुक्ति ओदश जारी किया जाएगा।	आवंटित मण्डल	प्रशिक्षण की पूर्णता वाले दिन
09.	नियुक्ति आदेश प्राप्त होते ही अभ्यर्थी सम्बन्धित कार्यालय में पहुंच कर कार्यभार ग्रहण करेगा।	अभ्यर्थी	नियुक्ति आदेश के अनुसार

आदेश- डाक विभाग ने रेलवे (आरएमएस) से डाक भेजना बंद किया

अब ट्रेन से नहीं रोड़ नेटवर्क से जाएगी चिट्ठियां, दो से तीन दिन जल्दी पहुंचेगी

भीलवाड़ा (नि.सं.) ट्रेन से डाक जाना अब पुराने जमाने की बात हो जाएगी। भारतीय डाक विभाग ने रेलवे (आरएमएस) के माध्यम से डाक सामग्री भेजना बंद कर दिया है। विभाग की ओर से देशभर में रेलवे के बजाए रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (आरटीएन) से डाक सामग्री पहुंचाई जाएगी। इसको लेकर विभाग का मानना है कि इससे लंबी दूरी तक डाक पहुंचाने में दो से तीन दिन का समय कम लगेगा। इसके मध्यनजर डाक विभाग ने भीलवाड़ा आरएमएस का विलय अजमेर आरएमएस में कर दिया। अब भीलवाड़ा डिविजन की डाक सामग्री सड़क नेटवर्क के माध्यम से अजमेर रेलवे डाकघर को भेजी जाएगी। जहां डाक छंटाई होगी इसके बाद जिले में वितरित होने वाली डाक सामग्री रोड नेटवर्क से हेड पोस्ट ऑफिस पहुंचा दी जाएगी। जहां से शहर सहित जिले भर में डाक सामग्री वितरित होंगी।

अब तक भीलवाड़ा हेड पोस्ट ऑफिस सहित जिले के 42 उप डाकघरों से आने वाली सामग्री भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे डाकघर में भेजी जा रही थी जहां पिनकोड के अनुसार डाक सामग्री की छंटाई करके जिले की डाक हेड पोस्ट ऑफिस व अन्य जिलों की डाक रेलवे के माध्यम से संबंधित जगह पहुंचाई जा रही थी। विभाग के आदेश आने के बाद रेलवे डाकघर में शनिवार को अंतिम कार्य दिवस रहा। सोमवार से हेड पोस्ट ऑफिस से सीधे अजमेर डाक पहुंचाई जाएगी।

आरएमएस में रात 9.30 बजे तक थी डाक बुकिंग की सुविधा

रेलवे डाकघर में रात 9.30 बजे तक रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट सहित डाक भेजने की अन्य सुविधा थी, लेकिन अब यह सुविधा बंद हो गई। हेड पोस्ट ऑफिस में शाम 6. 30 बजे तक ही यह सुविधा उपलब्ध होगी।

डाक विभाग का लॉजिस्टिक वाहन चित्तौड़गढ़ से रवाना होकर शाम 7 बजे करीब भीलवाड़ा हेड पोस्ट ऑफिस पहुंचेगा। यहां डाक सामग्री के बैग लेकर करीब 10 बजे अजमेर पहुंचेगा। भीलवाड़ा में वितरित होने वाली डाक छंटाई के बाद उसी वाहन में भीलवाड़ा पहुंचा दी जाएगी, जिससे दूसरे दिन वितरित की जा सके।

ये रहा रेलवे नेटवर्क बंद करने का प्रमुख कारण

कई स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव 2 से 5 मिनट के लिए होता है। ऐसे में ज्यादा संख्या में डाक बैग होने पर बोगी से उतारने में समय लगता है।

पार्सल आदि के टूटने-फूटने की समस्या – रेलवे से आने वाली डाक में कई पार्सल के टूटने-फूटने की शिकायतें मिल रही थीं। डाक पार्सल वाहन में जाने पर ये सुरक्षित पहुँचेगी।

रेलवे स्टेशनों का हो रहा विस्तार

देशभर में कई रेलवे स्टेशनों का विस्तार किया जा रहा है। ऐसे कई स्टेशनों पर जगह की कमी होने से डाक विभाग को कार्यालय खाली करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। अजमेर आरएमएस को भी इसी कारण अन्य जगह स्थानांतरित करना पड़ा।

हिंदी में आवेदन पत्र नहीं लिख पाया चयनित शाखा डाकपाल

प्रधान डाकघर पौड़ी में नियुक्ति के लिए पहुंचा था चयनित शाखा डाकपाल

पौड़ी (नि.सं.) डाक विभाग में चयनित डाक सेवकों के हिंदी लिखने में असमर्थता का मामला अभी ठीक से शांत भी नहीं हुआ था कि अब पौड़ी में चयनित शाखा डाकपाल के हिंदी में आवेदन पत्र नहीं लिख पाने का मामला सामने आया है।

जबकि चयनित शाखा डाकपाल ने हरियाणा बोर्ड से हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय में 95 नंबर पाए हैं। ऐसे में अब इस पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाले उठ रहे हैं।

डाक अधीक्षक पौड़ी श्री दीपक शर्मा ने प्रकरण के सामने आने पर रिपोर्ट डाक परिमंडल देहरादून को भेज दी है। कहा कि चयनित शाखा डाकपाल की तैनाती को लेकर उच्च अधिकारियों के दिशा-निर्देश के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

प्रधान डाकघर पौड़ी में एक चयनित शाखा डाकपाल नियुक्ति के लिए पहुंचा, जहां डाक अधीक्षक की ओर से चयनित शाखा डाकपाल को एक आवेदन पत्र हिंदी में लिखने के लिए कहा गया।

आधे घंटे बाद जब चयनित शाखा डाकपाल का हिंदी में लिखा आवेदन पत्र देखा, तो सभी अधिकारी-कर्मचारी सिर पकड़कर एक-दूसरे का मुंह ताकते रह गए।

आवेदन पत्र में चयनित शाखा डाकपाल ने अधीक्षक को 'अदीशय', महोदय को 'मेव्य', डाकघर को 'ढाकघर' और पौड़ी को 'पैटी' लिखा था। इसके आगे पत्र में जो कुछ भी लिखा था, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद डाक कर्मियों ने उसे अंकों को हिंदी में लिखने के लिए कहा। चयनित शाखा डाकपाल ने 1500 को पद्रासै, 2750 को सताइसे, 3531 को तीन हजार पानसे कतीस और 250 को ढाइरौ लिखा।

डाक अधीक्षक पौड़ी श्री दीपक शर्मा ने बताया कि हरियाणा के खरकरामजी जींद के रहने वाले व्यक्ति का चयन जिले के सिलोगी उप डाकघर में गढ़कोट शाखा डाकघर में शाखा डाकपाल के पद पर हुआ है।

बताया कि नव चयनित शाखा डाकपाल हिंदी में आवेदन पत्र नहीं लिख पाया है। साथ ही अंकों को भी हिंदी में नहीं लिख पाया है। जबकि डाक विभाग में हिंदी भाषा में कार्य संपादित होते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रकरण को लेकर रिपोर्ट परिमंडल देहरादून भेज दी है। चयनित शाखा डाकपाल की तैनाती को लेकर उच्च अधिकारियों के दिशा-निर्देश के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

हिंदी में 95 व विज्ञान में हैं 100 नंबर

चयनित शाखा डाकपाल ने हरियाणा बोर्ड से हाईस्कूल की परीक्षा वर्ष 2021 में उत्तीर्ण की है। सुमित को हिंदी, अंग्रेजी विषय में 95-95, गणित व सामाजिक विज्ञान में 90-90 और विज्ञान व फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में 100-100 अंक मिले है।

शैक्षणिक दस्तावेज हैं सही

चयनित शाखा डाकपाल के शैक्षणिक दस्तावेज सही हैं। डाक अधीक्षक शर्मा ने बताया कि डाक विभाग चयनित शाखा डाकपाल के शैक्षणिक दस्तावेजों की प्राथमिकी जांच कर चुका है जिसमें शैक्षणिक दस्तावेज सही पाए गए है।

पूछताछ से ही लापता हुआ सहायक डाकपाल

मुख्य डाकघर पौड़ी में एक चयनित सहायक शाखा डाकपाल ज्वाइनिंग के लिए आया था। छत्तीसगढ़ के चयनित सहायक शाखा डाकपाल से विभाग ने जैसे ही पूछताछ शुरू की वैसे ही उसने कहा कि वह कुछ देर में आ रहा है लेकिन उसके बाद वह लौटकर नहीं आया।

दो के दस्तावेज मिले थे फर्जी, भाग गए

डाकघर पौड़ी में अक्टूबर माह में चयनित चार ग्रामीण डाक सेवक ज्वाइंनिंग देने पहुंचे थे जिनमें उत्तर प्रदेश के दो चयनित ग्रामीण डाक सेवकों के शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी पाए गए थे।

ग्रामीण डाक सेवक ऑन लाइन भर्ती में फर्जी अंक तालिकाओं की जाँच जारी

नई दिल्ली (नि.सं.) डाक महा निदेशालय ने गत 09.10.2024 को बिहार और पश्चिम बंगाल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल्स को पत्र भेजकर ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन भर्ती में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की जा रही फर्जी अंक तालिकाओं की गहनता से जाँच करने को कहा है। गौरतलब है कि ऑन लाइन भर्ती में पेश की गई कथित फर्जी अंक तालिकायें मुख्यतः बिहार ओपन स्कूल एंड एक्जामिनेशन बोर्ड परना तथा वेस्ट बंगाल काउन्सिल ऑफ रविन्द्र ओपन स्कूलिंग के द्वारा जारी की गई हैं।

उक्त फर्जी अंक तालिकाओं की शिकायत उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल से प्राप्त हुई हैं जहाँ ऐसी कुल 23 अंक तालिकायें विभिन्न अभ्यर्थियों ने अपने ओवदन के साथ अपलोड की हैं जिनमें से मात्र एक अंक तालिका ही डिजीटल लॉकर के जरिये सत्यापित हो सकी है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक इनमें सर्वाधिक 30 अंक तालिकायें मध्य प्रदेश परिमंडल के लिए हुई ऑन लाइन भर्ती में इस्तेमाल की गई हैं जिनमें से 11 का सत्यापन डिजीटल लॉकर से हो चुका है लेकिन शेष 19 अंक तालिकायें ना तो डिजीटल लॉकर में उपलब्ध हैं और ना ही सम्बन्धित बोर्ड की वेबसाइट पर इनका कहीं कोई रिकॉर्ड है।

गौरतलब है कि वेस्ट बंगाल काउन्सिल ऑफ रविन्द्र ओपन स्कूलिंग द्वारा जारी 13 अंक तालिकाओं का इस्तेमाल खुद प. बंगाल परिमंडल द्वारा जारी भर्ती में किया गया है जिनमें से मात्र 6 का ही सत्यापन डिजीटल लॉकर से हो सका है। महा निदेशालय ने CPMG बिहार और प. बंगाल को हिदायत दी है कि इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर सन्दर्भित अंक तालिकाओं की पड़ताल करवा कर इसकी रिपोर्ट सम्बन्धित डाक परिमंडलों के साथ-साथ महा निदेशालय को भी पेश करें।

महा निदेशालय ने सभी परिमंडल प्रमुखों को इस पत्र की प्रतिलिपि के साथ निर्देशित किया है कि इस सम्बन्ध में सही सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तक इन बोर्ड्स द्वारा उत्तीर्ण शुदा अभ्यर्थियों को अस्थायी आधार पर भी नियुक्त नहीं किया जाये।

लगातार सेवा की आड़ में ग्रामीण डाक सेवकों की वेतन वृद्धि रोकना अनुचित - महादेवैया

नई दिल्ली (नि.सं.) अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ (AIGDSU) के राष्ट्रीय महामंत्री कॉमरेड एस.एस. महादेवैया ने सचिव डाक विभाग को पत्र लिखकर आगाह किया है कि देश के कुछ हिस्सों में '12 माह तक लगातार सेवा' की आड़ लेकर ग्रामीण डाक सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित किया जा रहा है जो सरासर गलत और अन्यायपूर्ण है।

श्री महादेवैया पत्र में आगे लिखते हैं कि निदेशालय ने अनेक आदेशों में 'लगातार सेवा' को बार-बार परिभाषित किया है इसके बावजूद अवेतनिक अवकाश पर रहने वाले ग्रामीण डाक सेवकों की अवकाश अवधि को सेवा अवरोध (Diesnon) मानते हुए उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जा रही है जो ना तो नियम संगत है और ना ही न्याय सम्मत है, लिहाजा इस प्रवृत्ति पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाये।

पत्र के अंतिम पैरा में जयपुर (ग्रामीण) देहरादून और रायपुर जैसे डाक मंडलों और केरल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान जैसे परिमंडलों का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है कि डाक प्रशासन का यह रवैया दमनकारी है जिसे रोका जाना समय की मांग है।

नियम 38 के तहत ऑन लाइन ट्रान्सफर प्रक्रिया में सुधार की माँग

नई दिल्ली (नि.सं.) राष्ट्रीय डाक कर्मचारी महासंघ (FNPO) के राष्ट्रीय महामंत्री श्री शिवाजी वासिरेड्डी ने डाक सेवा बोर्ड के सदस्य (व्यैक्तिक) को पत्र लिखकर पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम IV के नियम 38 के तहत ऑन लाइन ट्रान्सफर की प्रक्रिया को सरल और बहुआयामी बनाये जाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि इस प्रक्रिया की तकनीकी खामियों की वजह से अनकों डाक परिमंडलों में बहुत लम्बी लाइनें लगी हुई हैं इसलिए इस पोर्टल में ऑप्शन्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

पत्र में लिखा गया है कि वर्तमान में इस पोर्टल में विभिन्न डाक मंडलों में स्थानान्तरण के लिए प्रतीक्षा सूची देखने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है जिससे स्थानान्तरण के इच्छुक डाककर्मी अपने गृह मंडल या नजदीकी मंडलों की प्रतीक्षा सूची देखकर अपने स्थानान्तरण विकल्पों को तदनुसार बदल नहीं पा रहे हैं।

श्री वासिरेड्डी ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि आज उन्नत तकनीक के इस युग में इस प्रकार के विकल्पों को उपलब्ध कराना कोई मुश्किल कार्य नहीं रह गया है इसलिए डाक प्रशासन को अपने कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े इस महत्त्वपूर्ण सुझाव को तुरन्त प्रभाव से लागू करना चाहिए।

पेन्शनर्स के लिए राष्ट्र व्यापी डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान-3 शुरू

नई दिल्ली (नि.सं.) केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तत्वावधान में देश भर के पेन्शनर्स की सुविधा के लिए राष्ट्र व्यापी डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) अभियान की तीसरी आवृत्ति 06.11.2024 से शुरू हो चुकी है जो 30 नवम्बर तक जारी रहेगी।

उक्त अभियान के उद्घाटन के अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि इसके तहत देश भर के 800 जिलों/शहरों में शिविर आयोजित किये जायेंगे। महीने भर चलने वाले इस अभियान में 19 बैंक, 785 जिला डाकघर, 57 कल्याणकारी संगठन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और UIDAI की टीमें सहयोग करेंगी।

इस अभियान के तहत इंडिया पोस्ट पैमेण्ट बैंक अपने 1.8 लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से 785 जिलों में शिविर आयोजित कर देश के सभी श्रेणी के पेन्शनर्स को उनके घर की दहलीज तक जाकर डिजीटल लाइफ सर्टीफिकेट सेवा उपलब्ध करायेगा।

वारंगल और तिरुपति में खुलेंगे नये वेलनैस सेण्टर

नई दिल्ली (नि.सं.) केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वारंगल और तिरुपति में केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत नये चिकित्सा केन्द्र (Wellness Centre) खोले जाने की स्वीकृति जारी कर दी है।

उक्त जानकारी केन्द्रीय स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय के अवर सचिव श्री राजेन्द्र सिंह सिद्धू ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (JCM) के सचिव श्री शिवा गोपाल मिश्रा को एक पत्र लिखकर दी है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की सुविधा के लिए खोले जा रहे उक्त दोनों चिकित्सा केन्द्र श्री शिवा गोपाल मिश्रा के सुझाव पर ही स्वीकृत किये गये हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी इस स्वीकृति आदेश का इस क्षेत्र के केन्द्रीय कर्मचारियों ने स्वागत किया है।

अगले सत्यापन तक HSG की यूनियन्स पर यथास्थिति के आदेश

नई दिल्ली (नि.सं.) डाक महानिदेशालय के एस आर अनुभाग ने गत 22.10.2024 को एक पत्र जारी कर HSG II, HSG-1 और HSG (NFG) श्रेणी के कर्मचारियों को यूनियन्स के आगामी सदस्यता सत्यापन तक मौजूदा सेटअप में ही रखे जाने की व्यवस्था दी है।

महानिदेशालय ने उक्त निर्देश चीफ पोस्ट मास्टर जनरल छत्तीसगढ़ द्वारा चाहे गये एक स्पष्टीकरण आदेश के प्रत्युत्तर में जारी किये हैं।

उल्लेखनीय है कि हालांकि डाक विभाग ने HSG-II, HSG-I और HSG (NFG) संवर्ग को एक विशिष्ट संवर्ग के रूप में मान्यता दे दी है लेकिन अभी तक इस संवर्ग का कोई संगठन पंजीकृत नहीं है। उक्त स्पष्टीकरण आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि इस विशिष्ट संवर्ग के लिए स्वतंत्र संगठन का दर्जा यूनियन्स के अगले सदस्यता सत्यापन के बाद ही तय किया जायेगा इसलिए तब तक यथास्थिति को ही बरकरार रखा जाये।

HSG- 1 को राजपत्रित दर्जा दिये जाने हेतु सुझाव/टिप्पणियाँ आमंत्रित

नई दिल्ली (नि.सं.) डाक महानिदेशालय ने 01.11.2024 को सभी परिमंडल प्रमुखों को एक परिपत्र भेजकर उच्च चयन पदक्रम (HSG-1) के डाक कर्मियों राजपत्रित दर्जा दिये जाने के प्रस्ताव के सिलसिले में सुझाव और टिप्पणियां प्रेषित करने के निर्देश जारी किये हैं।

इसी परिपत्र में निदेशालय ने HSG-1 श्रेणी में कुल स्वीकृत पदों की संख्या और उन पर वास्तव में कार्यरत कर्मचारियों की तादाद सम्बन्धी आंकड़े भी भेजने के लिए कहा है।

निदेशालय ने जिन बिन्दुओं पर सुझाव और टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं उनमें HSG-1 श्रेणी के कर्मचारियों का कार्य और उत्तरदायित्व, प्रशासनिक एवम् वैधानिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां तथा HSG-1 को राजपत्रित दर्जा दिये जाने के क्रम में परिमण्डल प्रमुख की विशेष अनुशंषा शामिल है। ये सभी सूचनाएँ और सुझाव/टिप्पणियाँ 15.11.2024 तक भेजने के लिये कहा गया है।

विशेष भर्ती अभियान में अनियमितताओं की जाँच के लिए समिति गठित

नई दिल्ली (नि.सं.) पिछले दिनों दिल्ली परिमंडल द्वारा पोस्टमैन एवं एम.टी.एस. संवर्ग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए चलाये गये विशेष भर्ती अभियान के दौरान चयन प्रक्रिया में रही विसंगतियों के निराकरण एवं अनियमितताओं की जांच के लिए डाक प्रशासन द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

उक्त जानकारी दिल्ली परिमंडल के सहायक निदेशक (भर्ती) ने अ.भा. ग्रामीण डाक सेवक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री एस.एस. महादेवैया को उनके एक पत्र के प्रत्युत्तर में दी।

डाक जीवन बीमा व्यवसाय की समीक्षार्थ विशेषज्ञ समिति गठित

नई दिल्ली (नि.सं.) डाक जीवन बीमा निदेशालय ने गत 15.10.2024 को डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा व्यवसाय की रीइंजिनियरिंग हेतु एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है जिसमें कुल 14 सदस्य होंगे। अतिरिक्त महा प्रबन्धक (O) डाक जीवन बीमा की अध्यक्षता वाली इस समिति के समन्वयक श्री रविन्द्र कुमार DDM-III होंगे।

समिति के अन्य सदस्यों में दिल्ली (मु.) के डाक निदेशक श्री सुनील कुमार, जम्मू कश्मीर के निदेशक श्री प्रतीक, पंजाब के निदेशक (लेखा) श्री जितिन बंसल, मध्य प्रदेश परिमंडल के सहायक अधीक्षक श्री अभिषेक चौधरी, डाक महा निदेशालय के लेखाधिकारी श्री रोहित साहू, आन्ध्र प्रदेश के SPOC श्री वेंकट अर्जुन तथा छत्तीसगढ़ के SPOC श्री योगेन्द्र साहू प्रमुख हैं।

इनके अलावा समिति में तीन सन्दर्भ सहायक भी होंगे - श्री अमित कुमार ASP (व्यवसाय), श्री दीपक त्रिपाठी IP (OPs), तथा श्री प्रवीण कुमार IP (Tech.) ये तीनों सन्दर्भ सहायक नई दिल्ली स्थित डाक जीवन बीमा निदेशालय से हैं।

उक्त विशेषज्ञ समिति का मुख्य कार्य मौजूदा व्यवसाय और कार्य विधि की समीक्षा करके इसे बेहतरीन बीमा सेवा के रूप में परिवर्तित करना है। इसके अलावा समिति को मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) में सुधार और डाक जीवन बीमा नियमावली-2011 में समयानुकूल परिवर्तन का कार्य भी सौंपा गया है जिससे इस बीमा सेवा को बीमा धारकों के हितों के अनुरूप ढ़ाला जा सके।

मंगल परिणय

कसुम्बी (जसवन्तगढ़) जिला डीडवाना (राज.) के BPM श्री मांगीलाल गेधर की सुपुत्री सौ.कां. सन्तोष (खुशबू) एवम् सुपुत्र चि. गणेश का शुभ विवाह क्रमशः चि. प्रदीप कुमार एवं सौ.कां. अन्जू के साथ क्रमशः 12 नवम्बर और 15 नवम्बर को क्रमशः कसुम्बी तथा दड़ीबा में सम्पन्न हुआ।

वर-वधु को 'गौरव' के विशाल पाठक परिवार की तरफ से अनेकानेक शुभकामनाएँ!

स्वत्वाधिकारी मालिक, प्रकाशक व सम्पादक-श्रीमती संतोष कंवर, ग्राम-मालासी, पो. लाडनूँ, जिला- नागौर (राज.) द्वारा प्रकाशित एवं नेशनल प्रिन्टर्स, दरगाह रोड़, लाडनूं के लिये भवानी प्रिन्टर्स जोधुपर द्वारा मुद्रित।